तो किस आधार पर और किसके आदेश से ऐसा किया जा रहा है तथा अब तक कितने पासपोर्ट बनाए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली में हुए कई बम-विस्फोटों के अभियुक्तों को भी पासपोर्ट जारी किये गये हैं, यदि हां, तो किसके आदेश पर; और

(ग) ऐसे सभी पासपोर्टों को रद्द करने तथा इनकी पूरी जांच कराने के बाद इस कार्य में संलिप्त पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों को दंडित करने के संबंध में सरकार का निर्णय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी नहीं। पासपोर्ट केवल आवश्यक पुलिस सत्यापन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता को सिद्ध करना भी शामिल है के बाद ही जारी किए जाते हैं। केवल अल्पावधि की वैधता वाले तत्काल कोटि के पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बिना तथा भारत सरकार के कम से कम उप सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किए जा सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ की समस्या को सुलझाने हेतु कदम उठाये जाना

*336. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रति वर्ष देश की विभिन्न नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण बड़े पैमाने पर फसल नष्ट हो जाती हैं और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं या मौत के शिकार हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढने के लिए कोई ठोस एवं कारगर कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) चूंकि बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए हर प्रकार की बाढ़ से पूर्ण सुरक्षा न तो व्यावहारिक रूप से संभव है और न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उचित स्तर तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन उपाय करने की आयोजना की जाती है। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न बाढ़ प्रबंधन उपाय तैयार किए गये हैं और उनका कार्यान्वयन किया गया है। अब तक 16200 किमी॰ तटबंध, 32003 किमी॰ जल निकास चैनल, 906 नगर सुरक्षा कार्य कार्यान्वित किए गये हैं जिससे संपूर्ण देश में 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 14.374 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उचित स्तर तक सुरक्षा प्रदान की गई है।

भारत सरकार ने संपूर्ण देश की बाढ़ समस्याओं का व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 की अपनी रिपोर्ट में 207 दीर्घकालीन और अल्पकालीन सिफारिशें की हैं जिन्हें देश के सभी राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों की बाढ़ समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1987 के दौरान सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में दो समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों की सिफारिशों की आगे जांच जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई और अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्ष वर्ष 1991 में संबंधित राज्य सरकारों और संगठनों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजे गये थे। इसके अलावा, देश में बाढ़ समस्याओं की क्षेत्रवार जांच करने के लिए केन्द्र ने सितम्बर, 1996 में पांच क्षेत्रीय कार्यबल गठित किए थे। इन कार्यबलों की सिफारिशें संबंधित राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई थीं।

गंगा और ब्रह्मपुत्र के गंभीर बाढ़ प्रवण बेसिनों के लिए, बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के केन्द्रीय संगठनों ने बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं जो विस्तृत स्कीमें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 1996 में गठित विशेषज्ञ दल ने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में चिरकालिक कटाव समस्या की जांच की है और इस समस्या को दूर करने के लिए विशिष्ट स्कीमें क्रियान्वित करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के चिरकाल से बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए भारत सरकार ने विशिष्ट सुधारात्मक उपायों का पता लगाने और उनके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने के वास्ते नवम्बर, 1998 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। साथ, ही केन्द्रीय सरकार बाढ़ से होने वाली हानियों को कम करने में राज्य सरकारों को समय पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्तर्राज्यीय नदियों पर 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र चला रही है।